सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जल्लीकट्टू को आंकना

प्रासंगिकता: जीएस 1: भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी।

मुख्य वाक्यांश: पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पीसीए) अधिनियम, 1960, जल्लीकट्टू, कंबाला, और बैलगाड़ी दौड़, एरुथाझुवुथल, क्रूरता को कम करना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना।

चर्चा में क्यों?

• सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने हाल ही में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधानसभाओं द्वारा जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पीसीए) अधिनियम, 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है, जिसमें जल्लीकट्टू, कम्बाला और सांडों को काबू में करने, बैलगाड़ी दौड़ वाले खेलों की अनुमति दी गई है।

• अदालत के फैसले ने जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक महत्व और पशु अधिकारों पर इसके प्रभाव के बारे में बहस और चर्चाओं को जन्म दिया है।

जल्लीकट्टू को समझना:

• महत्व और परम्परा:

o जल्लीकट्टू, जिसे एरुथाझुवुथल के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में पोंगल फसल उत्सव के हिस्से के रूप में खेला जाने वाला एक सांड को काबू करने वाला खेल है।

o इसे प्रकृति के उत्सव के रूप में और भरपूर फसल के लिए आभार व्यक्त करने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जिसमें पशु पूजा एक अभिन्न अंग है।

• विवाद और सरोकार:

जल्लीकट्टू को जानवरों के प्रति क्रूरता और खेल की खतरनाक प्रकृति के बारे में चिंताओं के कारण पशु अधिकार समूहों और अदालतों से आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप सांडों और मानव प्रतिभागियों दोनों को चोटें और मृत्यु हुई है।

पृष्ठभूमि और विरोधाभासी दृश्य:

• ऐतिहासिक संघर्ष:

जल्लीकट्टू के कार्यकर्ता और समर्थक लंबे समय से बहस में लगे हुए हैं, जिसके कारण 2014 के एक अदालती फैसले में पशु क्रूरता पर खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

o पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मनुष्यों और सांडों के बीच प्रतियोगिता में शामिल कोई भी खेल पशु अधिकारों का उल्लंघन करता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह राज्य की परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।

• तमिलनाडु संशोधन:

o प्रतिबंध के जवाब में, तमिलनाडु विधानसभा ने 2017 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में एक संशोधन पारित किया।

o संशोधन का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देशी बैल की नस्लों की भलाई सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।

o विधायिका के इस कदम ने अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं की रक्षा के लिए राज्य के दृढ़ संकल्प को दर्शाया।

• कर्नाटक और महाराष्ट्र:

o तमिलनाडु की पहल से प्रेरित होकर, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने भी अपने संबंधित पारंपरिक खेलों, अर्थात् कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने के लिए संशोधन पारित किए।

o इन संशोधनों ने पशु कल्याण से संबंधित चिंताओं को दूर करते हुए सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित करने के प्रयासों को प्रतिबिंबित किया।

जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

• विधायी परिवर्तनों को कायम रखना:

o पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जल्लीकट्टू, कम्बाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देते हुए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक विधानसभाओं द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखा।

o अदालत ने माना कि तमिलनाडु संशोधन अधिनियम वैध है और भ्रामक कानून नहीं है।

o यह जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित है और जल्लीकट्टू जैसे खेलों में क्रूरता को कम करता है।

o अदालत ने कहा कि एक बार संशोधन लागू होने और नियमों का पालन करने के बाद, खेल को 1960 के अधिनियम के तहत क्रूर नहीं माना जाएगा।

o न्यायालय ने भी जल्लीकट्टू को तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत के एक भाग के रूप में मान्यता दी और विधायिका के निर्णय का सम्मान किया।

o यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2017 का संशोधन पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक स्वभाव, समानता और जीवन के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

• न्यायिक सीमाएं:

o अदालत ने इन खेलों के पीछे सांस्कृतिक भावना और विधायी योजना का बचाव किया, इस बात पर बल दिया कि सांस्कृतिक विरासत को विधायिका द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, न्यायपालिका को नहीं।

• क्रूरता को कम करना:

o सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस स्वीकृति पर आधारित है कि विधायी परिवर्तनों ने जल्लीकट्टू के दौरान जानवरों पर होने वाली संभावित क्रूरता और पीड़ा को कम किया है।

• सांस्कृतिक महत्व:

o न्यायालय विधायिका के इस विचार को स्वीकार करता है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए आयोजित एक पारंपरिक खेल है।

• पशु अधिकारों का अनुपालन:

o न्यायालय स्पष्ट करता है कि हालांकि जल्लीकट्टू की अनुमति है, आयोजकों और सरकारों को अंतरराष्ट्रीय नियमों और भारतीय कानून द्वारा अनिवार्य रूप से जानवरों के प्रति दर्द और क्रूरता की रोकथाम सुनिश्चित करनी चाहिए।

• सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

o न्यायालय प्रतिभागियों के लिए सुरक्षात्मक गियर अनिवार्य करने और प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू करने का सुझाव देता है।

निष्कर्ष:

• जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पशु कल्याण के बारे में चिंताओं को दूर करते हुए सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के आसपास की जटिलताओं को दर्शाता है।

• यह निर्णय आयोजकों और सरकारों द्वारा ऐसे आयोजनों के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देने और क्रूरता को रोकने की आवश्यकता पर जोर देता है।

• आगे बढ़ते हुए, जल्लीकट्टू और इसी तरह के पारंपरिक खेलों को एक जिम्मेदार और मानवीय तरीके से जारी रखने के लिए सांस्कृतिक संरक्षण, पशु कल्याण और सुरक्षा मानदंडों का सह-अस्तित्व होना चाहिए।

स्रोत: द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. जल्लीकट्टू - तमिलनाडु में सांडों को वश में करने का पारंपरिक खेल
2. कंबाला - कर्नाटक में भैंस की दौड़ का खेल
3. रेक्ला रेस - तमिलनाडु में बैलगाड़ी दौड़ खेल

उपरोक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1, 2, और 3
d) कोई नहीं

हल: (C)

- जल्लीकट्टू तमिलनाडु में सांडों को काबू में करने का एक पारंपरिक खेल है।
- कम्बाला कर्नाटक में आयोजित भैंसों की दौड़ का एक खेल है।
- रेक्ला रेस तमिलनाडु में आयोजित एक बैलगाड़ी दौड़ खेल है।
- इस प्रकार, विकल्प (सी) सही उत्तर है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. तमिलनाडु में सांड़ों को वश में करने के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर चर्चा करें। सांस्कृतिक प्रथाओं, पशु अधिकारों और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन पर फैसले के प्रभावों का विश्लेषण करें।

ध्येयIAS ® most trusted since 2003